मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०२५

रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०२५

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९०८ का संख्यांक १६ का संशोधन.

३. धारा १७ का संशोधन.

४. धारा ८०-ग का अंतःस्थापन.

५. धारा ८६ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०२५

रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९०८ का संख्यांक १६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा १७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (२) में,-

(१) खण्ड (बारह) के अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्धविराम और शब्द "या" स्थापित किया जाए; और

(२) इस प्रकार संशोधित खण्ड (बारह) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्;-

(तेरह) ऋण का पुनर्भुगतान होने के पश्चात् निष्पादित बंधकों के प्रतिहस्तांतरण की लिखत.".

धारा ८०-ग का अंत:स्थापन

४. मूल अधिनियम की धारा ८०-ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाए, अर्थात्:-

अपील और पुनरीक्षण

"८०-ग. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) की धारा ४० तथा ५६ में अधिकथित क्रमशः अपील और पुनरीक्षण के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन, कम रजिस्ट्रीकरण शुल्क से संबंधित, रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.".

धारा ८९ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ८९ में, उपधारा (६) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:–

" (७) इस अधिनियम में अंतर्विष्टि किसी बात के होते हुए भी, ऋण प्रदान करने वाले समस्त बैंक, वित्तीय संस्थाएं और अन्य ऋणदाता, ऋण का पुनर्भुगतान होने के पश्चात्, बंधक के प्रतिहस्तांतरण की लिखत के लिए, बंधक संपत्ति के प्रतिहस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति, उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेंगे जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर इस प्रकार बंधक की गई संपूर्ण संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यथास्थिति, उस प्रति या उन प्रतियों को अपनी पुस्तक संख्या १ में फाईल करेगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) एक केन्द्रीय अधिनियम है. यह अधिनियम विभिन्न राज्यों द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है. इसकी धारा १७, ८९ में संशोधन तथा धारा ८०-ग का अंतःस्थापन भी निम्न उद्देश्यों एवं कारणों से प्रस्तावित है;-

(१) वर्तमान में, बंधक के प्रतिहस्तांतरण की लिखत का रजिस्ट्रीकरण धारा १७ के अधीन अनिवार्य है. ऋण के पुनर्भुगतान की दशा में, बंधक सम्पत्ति के प्रतिहस्तांतरण के मामले में रजिस्ट्रीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु, इस धारा की उपधारा (२) में, खण्ड(तेरह) के रूप में तत्स्थानी संशोधन अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

(२) वर्तमान में कम रजिस्ट्रीकरण शुल्क की वसूली संबंधी आदेशों के विरुद्ध अपील एवं पुनरीक्षण के संबंध में कोई विशिष्ट उपबंध उपलब्ध नहीं है. अतएव, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) में अधिकथित सुसंगत उपबंधों को यथावश्यक परिवर्तनों सहित कम रजिस्ट्रीकरण शुल्क की वसूली संबंधी आदेश के संबंध में लागू करने हेतु, अधिनियम की धारा ८०-ग के रूप में उसे अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

(३) ऋण के पुनर्भुगतान के पश्चात् बंधक के प्रतिहस्तांतरण की लिखत की फाइलिंग की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जिसमें पक्षकारों की रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में वैयक्तिक हाजिरी की आवश्यकता नहीं होगी. बैंक द्वारा सीधे फाइलिंग हेतु लिखत संबंधित रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को भेजी जा सकेगी. इस हेतु अधिनियम की धारा ८९, जो लिखतों की फाइलिंग से संबंधित है, में उसे सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक : २७ जुलाई, २०२५.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) से उद्धरण

* * * *

८०-क. रजिस्ट्रीकरण फीस की कमी की वसूली भू-राजस्व की बकाया के तौर पर की जाएगी- यदि निरीक्षण करने पर या अन्यथा यह पाया जाए कि किसी ऐसा दस्तावेज के संबंध में, जो रजिस्ट्रीकृत की गई है, इस अधिनियम के अधीन देय फीस का भुगतान अपर्याप्त रूप से किया गया है तो फीस की ऐसी कमी की रकम मांग की जाने के पश्चात् विहित कालावधि के भीतर उसका भुगतान न किया जाने पर उस व्यक्ति से, जिसने ऐसी दस्तावेज उपस्थापित की है, भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी.

* * * *

८९. कुछ आदेशों, प्रमाण-पत्रों और लिखतों की प्रतियों का रजिस्ट्रीकर्ता आफिसरों को भेजा जाना और फाइल किया जाना-

(१) भूमि अभिवृद्धि उधार अधिनियम, १८८३ (१८८३ का १६) के अधीन उधार अनुदत्त करने वाला हर आफिसर अपने आदेश की प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर अभिवृद्धि की जाने वाली पूरी भूमि या उसका कोई भाग या सांपार्श्विक प्रतिभूमि के रूप में अनुदत्त की जाने वाली भूमि स्थित है, और ऐसा रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर उस प्रति को अपनी पुस्तक संख्याक १ में फाइल करेगा.

(२) सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन स्थावर संपत्ति के विक्रय का प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने वाला हर न्यायालय ऐसे प्रमाण-पत्र की प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ऐसे प्रमाण-पत्र में समाविष्ट पूरी स्थावर संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है, और ऐसा आफिसर उस प्रति को अपनी पुस्तक संख्यांक १ में फाईल करेगा.

(३) कृषक उधार अधिनियम, १८८४ (१८८४ का १२) के अधीन उधार अनुदत्त करने वाला हर ऑफिसर किसी भी ऐसी लिखत की प्रति, जिसके द्वारा स्थावर सम्पत्ति उधार के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए बन्धक की गई है और यदि ऐसी कोई सम्पत्ति उधार अनुदत्त करने वाले आदेश में उसी प्रयोजन के लिए बंधक की गई है तो उस आदेश की प्रति भी उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के पास भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर वह पूरी सम्पत्ति, जिसका बन्धक किया गया है या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर यथास्थिति उस प्रति या उन प्रतियों को अपनी पुस्तक संख्यांक १ में फाईल करेगा.

(४) लोक नीलाम द्वारा बेची गई स्थावर सपंत्ति के क्रेता को विक्रय प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने वाला हर आफिसर प्रमाण-पत्र की प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रमाण-पत्र में समाविष्ट पूरी संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा आफिसर उस प्रति को अपनी पुस्तक संख्यांक १ में फाइल करेगा.

(५) मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव लैण्ड मॉर्टगेज बैंक एक्ट, १९३७ (१९३७ का १) की धारा २० के अधीन या मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट १९६० (१९६० का १७) की धारा ८५ के खण्ड (ग) के अधीन विक्रय का प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने वाला प्रत्येक विक्रय अधिकारी ऐसे प्रमाण-पत्र की एक प्रति उस रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को भेजेगा, जिसके क्षेत्राधिकारी की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसे प्रमाण-पत्र में अन्तर्विष्टि पूर्ण स्थावर सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उस प्रतिलिपि को अपनी पुस्तक संख्यांक १ में फाइल कर लेगा.

(६) सेन्ट्रल प्राविन्सेज कान्सालिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज एक्ट, १९२८ (१९२८ का ८) की धारा २२ की उपधारा (१) के अन्तर्गत आदेश पारित करने वाला प्रत्येक चकबन्दी अधिकारी ऐसे आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जिसकी क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसे आदेश में निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति या कोई भाग स्थित हो, भेजेगा और ऐसा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिलिपि को अपनी पुस्त संख्यांक १ में फाइल कर लेगा.

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.